(मंजरी नेहरू कौल, न्यायमूर्ति)

राजन गुप्ता और मंजरी नेहरू कौल, न्यायमूर्ति के समक्ष

गौरव आर्या-अपीलार्थी

बनाम

आनंदिता जैन-उत्तरवादी

2018 का एफ़एओ संख्या 5761

1 नवंबर, 2019

क. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13-बी-स्थायी भरण पोषण-सह-गुजारा भत्ता के नियमो और शर्तो को शामिल करने वाली सहमति डिक्री-बाद मे बदलाव, दलीलों पर हिन्दू विवाह अधिनियम एक्ट, 1955 की धारा 25 (2) के तहत संशोधित करने की मांग की गई परिस्थितियो मे प्रतिवादी पत्नी द्वारा जबरदस्ती और पारिवारिक न्यायालय द्वारा दबाव डाले जाने पर, एक बार धारा-13-B के तहत एक डिक्री दिए जाने के बाद जो किसी भी दबाव से मुक्त है, किसी भी पक्ष को सहमत शर्तों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-इसके अलावा, यदि एक पक्ष निपटान की शर्तो पर कार्य करता है, तो दूसरे पक्ष को किसी भी धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के अभाव में फिर से विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे तथ्यों पर स्थापित नहीं किया गया था- अपील खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि, यह भी अभिलेख का विषय है कि पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार पत्नी ने सहमति की शर्तों पर कार्य किया था और पति के खिलाफ स्थापित मामलों को वापस ले लिया था। एक बार जब अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक डिक्री दे दी गई थी और जो स्पष्ट रूप से किसी भी दबाव से मुक्त है, किसी भी पक्ष को उसी की शर्तों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि यदि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया था और एक समझौता किया था और इसके एक हिस्से पर एक पक्ष ने कार्यवाही भी कर ली, तो दूसरे पति या पत्नी को किसी धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के अभाव में उससे अलग होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में अपीलार्थी ने पक्षों के बीच आए तय नियमों और शर्तों का फायदा उठाया क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ स्थापित सभी आपराधिक शिकायतों को वापस ले लिया।

(पैरा 8)

ख. क़ानून की व्याख्या-जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डिरोगन का सिद्धांत-पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(2), और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25(2) - कोई स्पष्ट संघर्ष नहीं –कल्पित संघर्ष पर भी आयोजित, जनरलिया स्पेशलिबस गैर अपमानजनक का सिद्धांत लागू होगा और 1955 के बाद वाले (सामान्य) अधिनियम के प्रावधानों को 1984 के पूर्व (विशिष्ट) अधिनियम के अनुरूप होना होगा, अन्यथा 1984 के अधिनियम की धारा 19(2) को अनुचित माना जाएगा।

यह माना गया कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 एक बाद का कानून है और इसके निर्माता हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों से अच्छी तरह वाकिफ थे। यहा तक कि यह मानते हुए भी कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के बीच टकराव है, बाद वाले को सामान्यता विशेष गैर-अपमानजनक के प्रसिद्ध सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए पहले वाले को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) को अनुचित माना जाएगा, जो स्पष्ट रूप से विधायी इरादे के विपरीत होगा।

(पैरा 11)

ग.पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक की सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, भरण-पोषण की मात्रा को छोड़कर अपीलार्थी के अविश्वसनीय दस्तावेज/वेतन प्रमाण पत्र के मामले में भी व्यवहार्य नहीं था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) को इस अर्थ में पढ़ा जाए कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक की सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी और केवल भरण-पोषण की मात्रा को लेकर आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वेतन प्रमाण पत्र एक अविश्वसनीय और अविश्वसनीय दस्तावेज है। यह केवल शुद्ध वेतन का खुलासा करता है और भ्रामक, टालमटोल करने वाला है और सम्पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं करता है।

(पैरा 12)

अमर विवेक, अधिवक्ता
अपीलार्थी के लिए
पी. के. जैन, प्रतिवादी के वकील
मंजरी नेहरू कौल, न्यायमूर्ति

(1) अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 26.03.2018 के विवादित आदेश के खिलाफ गौरव आर्य द्वारा तत्काल अपील दायर की गई है, जिसके तहत उनके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 (2) के तहत दायर आवेदन (संक्षेप में 'अधिनियम') को धारा 151 सिविल प्रक्रिया साहिता के साथ पढ़ा गया, जिसमें प्रतिवादी को दिए गए स्थायी भरण-पोषण-सह-गुजारा भत्ता के नियमों और शर्तों में संशोधन की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

(2) वर्तमान अपील के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है

(3) दोनों पक्षों के बीच विवाह 19.09.2002 को संपन्न हुआ था।

उक्त विवाह से दो बच्चों का जन्म हुआ। अपीलार्थी ने क्रूरता के आधार पर अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत प्रतिवादी से तलाक की डिक्री की मांग की थी। हालाँकि, माननीय निचली अदालत के समक्ष दायर उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, पक्षों के बीच एक समझौता हुआ और धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत याचिका को अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक याचिका में परिवर्तित कर दिया गया। यह ध्यान देना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत दोनों पक्षों के पहले प्रस्ताव ब्यान की रिकॉर्डिंग से पहले, पक्षों का एक संयुक्त बयान 21.04.2015 को जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया था जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"हमने अपने बीच के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और यह सहमति है कि हम आज से 15 दिनों के भीतर आपसी सहमति से तलाक दायर करेंगे। हमारी दो बेटियों, 9 साल की सना आर्य और 7 साल की मेहर आर्य की स्थायी अभिरक्षा प्रतिवादी के पास रहेगी और याचिकाकर्ता को पक्षों और उनके बच्चों की पारस्परिक सुविधा के अनुसार आजादी से मिलने का अधिकार होगा। याचिकाकर्ता मई, 2015 से प्रतिवादी को स्थायी रखरखाव-सह-गुजारा भत्ता के रूप में प्रति माह 55,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा और यह राशि प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में 5,000/- रुपये की वृद्धि के अधीन होगी। यह राशि याचिकाकर्ता द्वारा कार्पोरेशन बैंक में प्रतिवादी के खाता संख्या 18493 में जमा की जाएगी इसके अलावा, वह दोनों पक्षो की दो बेटियों के शिक्षा खर्च का भी भुगतान करेगा। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ दायर दो मामलों यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत और आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका की स्थापना के समक्ष अपराध प्रकोष्ठ में की गई शिकायत को वापस ले लेगा। इस याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाए"

(4) इसके बाद, पहला प्रस्ताव ब्यान भी 21.04.2015 को दर्ज किया गया था जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं और एक संयुक्त बयान दिया है कि उन्होंने अपने बीच के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया है और इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे आज से 15 दिनों के भीतर आपसी सहमति से तलाक दायर करेंगे। उनकी दो बेटियों, सना आर्य उम्र 9 साल और मेहर आर्य 7 साल की स्थायी अभिरक्षा प्रतिवादी के पास रहेगी और याचिकाकर्ता को पक्षों और उनके बच्चों की पारस्परिक सुविधा के अनुसार आजादी से मिलने का अधिकार होगा। याचिकाकर्ता मई, 2015 से प्रतिवादी को स्थायी रख रखाव-सह-गुजारा भत्ता के रूप मे प्रत्यर्थी को प्रति माह 55,000/- रुपये की राशि दी जाएगी --

और यह राशि प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में 5,000/- रुपये की वृद्धि के अधीन होगी। यह राशि याचिकाकर्ता द्वारा कार्पोरेशन बैंक में प्रत्यर्थी के खाता संख्या 18493 में जमा की जाएगी इसके अलावा, वह दोनों पक्षो की दो बेटियों के शिक्षा खर्च का भी भुगतान करेगा। प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता और उसके परिवार के खिलाफ दायर दो मामलों यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत और आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर करने से पहले अपराध प्रकोष्ठ से वापिस ले लेगी। उन्होंने प्रार्थना की है कि इस याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया जाए। दोनों पक्षों द्वारा दिए गए संयुक्त बयान को देखते हुए, इस याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। दोनों पक्ष आज अदालत में दिए गए अपने संयुक्त बयान से बंधे रहेंगे। फाइल को अभिलेख कक्ष में भेज दिया जाए"।

(5) दोनों पक्षों का दूसरा प्रस्ताव भी 20.11.2015 को छह महीने की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि के बाद पहले प्रस्ताव बयान के समान शर्तो में दर्ज किया गया था। इसके बाद, अधिनियम की धारा 13-बी के तहत पक्षों के विवाह को भंग कर दिया गया।

(6) दोनों पक्षों के उपरोक्त संयुक्त ब्यानों और उनके बीच हुए समझौते के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों की अभिरक्षा प्रत्यर्थी-पत्नी के पास रहने वाली थी और अपीलार्थी-पति को आजादी से मिलने का अधिकार दिया गया था। हालांकि, अपीलार्थी द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि वह मई, 2015 से प्रतिवादी को स्थायी भरण-पोषण-सह-गुजारा भत्ता के रूप में प्रति माह 55,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा, जिसमें प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष 5,000/- रुपये की वृद्धि की जानी थी। वह अपनी दो बेटियों के शिक्षा के खर्च का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गया था। इतना ही नहीं, पक्षकारों के बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि प्रत्यर्थी उन दो मामलों को वापस ले लेगी जो अपीलार्थी और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत दायर किए गए थे और अधिनियम की धारा 13-बी के तहत याचिका की स्थापना के पहले अपराध प्रकोष्ठ में की गई शिकायत पति ने अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत याचिका दायर करते हुए कहा कि वह मई, 2015 से पक्षों के बीच सहमत राशि का भुगतान कर रहा था 07.09.2016 को उन्होंने तनीषा बेदी से शादी कर ली। हालाँकि, इसके बाद उनका व्यवसाय घाटे में चला गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी दूसरी पत्नी और अपने परिवार से वित्तीय सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हालाँकि उसने खुद को किसी दूसरे व्यवसाय में फिर से स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप उसे डेलपोर्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में रोजगार की तलाश करनी पड़ी, जहाँ वह प्रति माह 42,000/- रुपये का मामूली वेतन प्राप्त कर रहा था और इस प्रकार सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार प्रतिवादी को दी जाने वाली 60,000/- रुपये प्रति माह की राशि उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं था अपीलार्थी ने आगे दलील की कि प्रत्यर्थी को एक शिक्षक के रूप में लाभकारी रूप से नियुक्त किया गया था और वह प्रति माह 40,000/- रुपए का वेतन प्राप्त कर रहा था। अपीलार्थी द्वारा आगे यह आग्रह किया गया कि आपसी तलाक की मंजूरी के समय पक्षों के बीच जो नियम और शर्तें बनी थीं, वे बाध्यकारी परिस्थितियों यानी उसके और उसके परिवार के खिलाफ मामलों की स्थापना के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा डाले गए दबाव के कारण थीं। अपीलार्थी ने दावा किया कि न्यायालय ने अधिनियम की धारा 13-बी के तहत विवाह को भंग करते हुए उक्त आदेश को जल्दबाजी में पारित कर दिया, जिससे अपीलार्थी के पास प्रतिवादी को दी गई प्रतिबद्धताओं और आश्वासनों पर विचार करने का समय नहीं रह गया। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि उसे प्रत्यर्थी और उसके परिवार द्वारा धमकी दी गई थी और उसे माननीय न्यायालय द्वारा लगाए गए दबाव के साथ-साथ उनकी धमकियों के आगे झुकना पड़ा, जिसके कारण वह परिवार न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.11.2015 सहमति आदेश पर सहमत हो गया।

(7) दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के तनीषा बेदी के साथ अवैध संबंध थे, जिनके साथ उसने तलाक की डिक्री दिनांक 20.11.2015 के तुरंत बाद शादी कर ली थी। उन्होंने आगे कहा कि पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए अपीलार्थी पर कोई दबाव डालने या कोई धमकी देने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी आपसी तलाक देने के समय उनके बीच तय मासिक गुजारा भत्ता के भुगतान में लगातार चूक कर रहा था। बल्कि उसने आरोप लगाया कि डेलपोर्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से उसका रोजगार पत्र वास्तव में उसके नियोक्ता के साथ मिलीभगत से तैयार किया गया मनगढ़ंत दस्तावेज था और उसका एकमात्र इरादा उपरोक्त फर्जी दस्तावेजो के आधार पर अदालत को गुमराह करना था ताकि रखरखाव राशि को कम करने का आदेश प्राप्त किया जा सके जिसका दोनों पक्षों के बीच निपटारा हो गया था।

(8) यह विवादित नहीं हो सकता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत भंग कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक का उक्त फरमान अधिनियम की धारा 13-बी (2) के तहत निर्धारित तरीके से उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही पारित किया गया था। अधिनियम की की धारा 13-बी के तहत याचिका प्रस्तुत करने के सात महीने बाद पहला प्रस्ताव बयान 21.4.2015 को दर्ज किया गया था।

दोनों पक्षों का दूसरा प्रस्ताव ब्यान अदालत द्वारा उनकी सुनवाई के बाद दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, न्यायालय ने पक्षों के बीच बने नियमों और शर्तों की सत्यता की जांच करने के बाद अपनी संतुष्टि दर्ज की थी। अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक का उक्त फरमान न केवल पक्षों के विद्वान वकील की उपस्थिति में बल्कि स्वयं पक्षों की उपस्थिति में भी दिया गया था। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि अधिनियम की धारा 13 के तहत एक तलाक की याचिका पहले पति द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसे कुछ नियमों और शर्तों के अधीन आपसी सहमति से तलाक की याचिका में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें पत्नी द्वारा पति के खिलाफ स्थापित मामलों को वापिस लेना भी शामिल था। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार पत्नी ने सहमति की शर्तों पर काम किया था और पति के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लिया था। एक बार जब अधिनियम की धारा 13-बी के तहत एक डिक्री दी गई थी और जो स्पष्ट रूप से किसी भी दबाव से मुक्त है, किसी भी पक्ष को इसकी शर्तों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि यदि पक्षों ने अपने विवाद को सुलझा लिया था और एक समझौता किया था और इसके एक हिस्से पर एक पक्ष ने कार्रवाई भी कर ली है, तो दूसरे पति या पत्नी को किसी भी धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के अभाव में उससे अलग होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले में अपीलार्थी ने पक्षों के बीच आए नियमों और शर्तों का फायदा उठाया क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक शिकायतों को वापस ले लिया।

(9) अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीले किसी भी योग्यता से रहित हैं और पूरी तरह से खारिज किए जाने के योग्य हैं। अपीलार्थी का आरोप है कि प्रत्यर्थी और उसके परिवार द्वारा नियमों और शर्तों से सहमत होने के लिए उस पर दबाव डाला गया था और भरण पोषण सह-गुजारा भत्ता प्रति माह 55,000/- रुपए की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होने के लिए न्यायालय द्वारा दबाव डाला गया था-ऊपरी तौर पर हास्यस्पद है और वास्तव में अवमानना की सीमा पर हैं। उपरोक्त जैसी स्थिति के लिए हि कि अधिनियम की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए कुछ वैधानिक शर्तों का पालन करना पड़ता है, जिसमें पक्षों के पहले और दूसरे प्रस्ताव बयानों के बीच छह महीने की अनिवार्य अवधि शामिल है। यह वास्तव में बहुत अजीब बात है कि पति, जिसने स्वीकार किया कि वह एक शिक्षित व्यक्ति है और जिसका प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया गया था, उसने कुलीन ऑफ अवधि के दौरान दूसरे प्रस्ताव के समय अपने पहले के बयान से बहुत कम शिकायत नहीं की, यदि अदालत द्वारा लगाए गए कथित धमकी या दबाव के सभी आरोप सही थे। वास्तव में, ऐसा लगता है कि पति न केवल प्रतिवादी पर बल्कि यह न्यायलय पर भी धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है

यदि कोई अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका की शुरुआत से लेकर अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत याचिका दायर करने तक की घटनाओं के क्रम को देखता है, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि पति ने आपराधिक कार्यवाही से बचने के लिए स्वेच्छा से पत्नी के साथ कुछ नियमों और शर्तों के साथ समझौता किया, जिसमें प्रति माह 55,000/- रुपए का रखरखाव भी शामिल है, ताकि उसे अधिनियम की धारा 13-B के तहत याचिका दायर करने के लिए आकर्षित किया जा सके। एक बार जब प्रत्यर्थी ने अपनी भूमिका निभाई थी और अधिनियम की धारा 13-बी के तहत अपीलार्थी पति द्वारा समझौता और तलाक प्राप्त कर लिया था अब अपीलार्थी बहुत आसानी से अपने व्यावसायिक घाटे के बारे मे एक गंभीर दुखभरी कहानी लेकर आई है वित्तीय अक्षमता के कारण वह उनके बीच तय किए गए नियमों और शर्तों का पालन करने में असमर्थ हो गया है। यह बहुत अजीब बात है कि उनके पुनर्विवाह के तुरंत बाद, उनका व्यवसाय ताश के पत्तों की तरह गिर गया और उन्हें इतनी दयनीय स्थिति में छोड़ दिया कि उनके पास अपनी दूसरी पत्नी और अपने परिवार से वित्तीय मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि उन्होंने दावा किया है और यूनिट मैनेजर के रूप में एक डेलपोर्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से एक रोजगार पत्र को रिकॉर्ड पर रखा है, लेकिन उसी का एक अवलोकन भौहें उठाता है और अपीलार्थी द्वारा की गई हेरफेर को उजागर करता है। वेतन प्रमाणपत्र पर, उक्त कंपनी में शामिल होने की उनकी तारीख 01.09.2017 के रूप में दिखाई गई है, जबकि अपने स्वयं के आवेदन में उसने 03.09.2016 के रूप में शामिल होने की तारीख का उल्लेख किया है। इसके अलावा, यह वास्तव में बहुत अजीब है कि वेतन प्रमाण पत्र में पी. एफ., टी. डी. एस. आदि के लिए कोई कटौती नहीं दिखाई गई है और शुद्ध वेतन 42,000/- रुपए होने का केवल उल्लेख है। जो कटौतिया वेतन प्रमाणपत्र में नहीं हैं, वे केवल अपीलार्थी के लाभ के लिए सुनिश्चित होंगी। यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज़ एक खरीदा हुआ दस्तावेज़ है जिसे स्पष्ट रूप से नियोक्ता की सक्रिय मिलीभगत से तैयार किया गया है। इस प्रमाणपत्र की सटीकता अपने आप में अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि यह जितना प्रकट करता है उससे कई अधिक छिपाता है।

(10) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) की कठोरता से बाहर निकलने के लिए, अपीलार्थी ने उसके द्वारा देय राशि में कमी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 (2) के तहत मासिक भरण-पोषण के रूप में एक आवेदन दायर किया है। दिनांक 20.11.2015 आदेश में उल्लिखित भरण-पोषण की राशि आपसी सहमति से तलाक देने के लिए एक पूर्व शर्त थी। कानून के उपरोक्त दो प्रावधानों को ऊपर देखी गई परिस्थितियों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि अपीलार्थी को उस प्रतिबद्धता से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिस पर तलाक का आदेश दिया गया था

(11) इसके अलावा, परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 एक बाद का कानून है और इसके निर्माता हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों से अच्छी तरह वाकिफ थे।

यह मानते हुए भी कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के बीच विरोधाभाष है, बाद वाले को सामान्य विशेष गैर अपमानजनक के प्रसिद्ध सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए,पहले की बात मनानी चाहिए, अन्यथा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) को अनुचित माना जाएगा, जो स्पष्ट रूप से विधायी इरादे के विपरीत होगा।

(12) भले ही परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 (2) को इस अर्थ में पढ़ा जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक की सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी और जो उत्तेजित किया जा सकता है वह केवल भरण-पोषण की मात्रा है, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वेतन प्रमाण पत्र एक अविश्वसनीय और अविश्वसनीय दस्तावेज है। यह केवल शुद्ध वेतन का खुलासा करता है और भ्रामक, टालमटोल करने वाला है और पूरे विवरण का खुलासा नहीं करता है।

(13) उपरोक्त के आलोक में, हमें अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गुरुग्राम द्वारा पारित दिनांक 26.03.2018 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। परिणामस्वरूप, तत्काल अपील खारिज की जाती है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण-स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(सरोज बाला)
अनुवादक